ग्राम पंचायत कन्द्राल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कन्द्राल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री विरेन्द्र कटोच	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती उमा देवी	23.1.16 से 31.3.17

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती रक्षा देवी	1.4.14 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत कन्द्राल, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	2.30
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	——

3	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.27
4	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	3.95
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	5.51

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

ग्राम पंचायत कन्द्राल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15.1.18 से 18.1.18 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 01/2015, 05/2015, 01/2017 व 06/2014, 10/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत कन्द्राल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21 दिनांक 18.1.18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कन्द्राल से अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

ग्राम पंचायत कन्द्राल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

स्वः स्त्रोत व अनुदानः–

ग्राम पंचायत कन्द्राल के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 व 2** में भी दिया गया है।

स्वः स्त्रोत

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014–15	146626	176761	323387	122121	201266
2015–16	201266	166389	367655	166872	200783
2016–17	200783	205113	405896	160276	245620

अनुदान

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2014–15	283919	1188993	1472912	1077272	395640
2015–16	395640	1756042	2151682	1216723	934959
2016–17	934959	799333	1734292	1339491	394801
			कुल अन्तिम शेष		**₹640421**

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा हस्तगत राशि का विवरण

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**जमा राशि**
1	के0सी0सी0 बैजनाथ	20016004849	856039
2	के0सी0सी0 बैजनाथ	50051613233	3334
3	ग्रा0बैक उत्तराला	88030100025836	0
4	के0सी0सी0 बैजनाथ	50065328536	10136
5	हस्तगत राशि		650
		कुल योग	**₹870159**

अन्तर ₹870159–₹640421=₹229738

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 को अन्तशेष में ₹2.30 लाख का भारी अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कन्द्राल द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹229738 का भारी अन्तर पाया गया (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है) जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना

(क) रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करनाः–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों के उपरान्त अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कन्द्राल में रोकड़ बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत कन्द्राल द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण

G.P. Kandral

के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका, जिसके बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व (मोबाईल टावर शुल्क) ₹0.27 लाख वसूली हेतु शेषः–

ग्राम पंचायत कन्द्राल की मोबाईल टावर शुल्क की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक ₹26500 मोबाईल टावर शुल्क की वसूली शेष थी जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत किया जाए।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	बकाया राशि
2014–15	13000	2500	15500	शून्य	15500
2015–16	15500	5500	21000	शून्य	21000
2016–17	21000	5500	26500	शून्य	26500

8 निवेशः–

ग्राम पंचायत कन्द्राल द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि पंचायत निधि की अधिशेष राशि को सावधि जमा में निवेशित किया जाए ताकि ब्याज की उच्चत्तर दर अर्जित की जा सके।

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म में तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान राशि ₹3.95 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹394801 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की

शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.51 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹550540 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकतआऐं पूर्ण किए बिना किया गया जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

G.P. Kandral

1 स्टॉक रजिस्टर

2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

3 जल प्रभार रजिस्टर

4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर

5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7 गृहकर वसूली रजिस्टर

8 डाक टिकट रजिस्टर

9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार पुस्तकों का रख रखाव किया गया है और न ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितताऐंः—

14.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

14.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

14.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येंक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सीटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इसके बारे में

G.P. Kandral

उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्षः–**लेखों के रख रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ में विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 178/2018–खण्ड–1–3422–3425 दिनाँक 16.05.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत कन्द्राल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

G.P. Kandral